कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–22/2019– 1128 दिनांक : 18/12/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर/सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्विकल्चरल ऑपरेशन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य तथा नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा वृक्षारोपण कार्य हेतु **रू0 94.267 (चौरानबे लाख छब्बीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–29/2019–12/स्वी0 व0प0 दिनांक 27.06..2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–29/2019–65/आ0 व0प0 दिनांक 05.07.2019।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष–101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 94.267 (चौरानबे लाख छब्बीस हजार सात सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101400103	72.701
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101400323	21.566
कुल :–		**94.267**

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1(क) एवं 1(ख)** पर वर्णित वन प्रमंडल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने कार्यालय के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं

वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर **अनुलग्नक–2(क) एवं 2(ख)** पर, स्थल विवरणी **अनुलग्नक–3(क) एवं 3(ख)** पर तथा ऑन–लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–4** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S240601101400103 एवं 19S240601101400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरु करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल–मई माह में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्नजनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

इस योजना में gap/enrichment plantation के लिए प्राकृतिक प्रजाति के 200 पौधे प्रति हे0 लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। Root-Shoot को स्थाई पौधशालाओं से क्रय कर Tube में तैयार किया जाऐगा या फिर Tube plant को स्थाई पौधशाला से क्रय किया जाऐगा।

6. वन संवर्द्धन कार्य के दौरान खूँटों को Cutback करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि stump को जमीन से 6" छोडकर एक बार में तेज टांगी/आरी से काटा जाए, ताकि stump फटे नहीं। किसी भी परिस्थिति में काटी हुई stump की trimming नहीं की जाए।

7. इस योजना में प्राकृतिक रुप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते है। इन स्थलों

के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

8. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बाँस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

9. Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बाँस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हे0 में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

11. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

12 राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

13. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

17. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

18. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

19. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक–3542, दिनांक–19.12.2013 में निरुपित प्रावधानों के अनुरुप किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2019–** 1128 दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–22/2019–** 1128 दिनांक– 18/12/19

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ दुमका /हजारीबाग/ चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2019–20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			23983.68	**1700.00**	**25683.68**
प्रसार वानिकी					
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	50	11.992	0.850	12.842
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	50	11.992	0.850	12.842
योग		**100**	**23.984**	**1.700**	**25.684**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–1(ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना (अन्य व्यय) के अन्तर्गत नदियों के उदगम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप–आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र0 सं0	वन प्रमण्डल का नाम	नदी एवं उसके उद्‌गम स्थल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	2019–20 (अग्रिम कार्य)		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				32477.90	**13243.14**	**45721.04**
हजारीबाग रीजन						
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल	नावाडीह (केकैया नदी)	50	16.239	6.622	22.861
योगः–			**50**	**16.239**	**6.622**	**22.861**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	सेसांग (हेरु नदी)	50	16.239	6.622	22.861
		मारंगी पहाड़ (बासा नदी)	50	16.239	6.622	22.861
योगः–			**100**	**32.478**	**13.244**	**45.722**
सकल योगः–			**150**	**48.717**	**19.866**	**68.583**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक–2 (क)

"सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना" के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन–वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर – 249.83 रु0

प्रति 200 बांस बखार (मानक संख्या प्रति हे0)

(राशि रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	**वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83**					
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	749.49	0.00	749.49	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturially avaliable बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हे0 की मानक संख्या से)	40	9993.20	200.00	10193.20	बडे बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बांसों को हटाना	10	2498.30	0.00	2498.30	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	4996.60	1500.00	6496.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	4996.60	0.00	4996.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	749.49	0.00	749.49	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बॉस बखारों की संख्या 200 प्रति हे0 से कम है।
	कुल	**96**	**23983.68**	**1700.00**	**25683.68**	

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–2(ख)

योजना का नाम : सिल्विकल्चरल ऑपरेशन योजना का दर निर्धारण

(औसतन 10%-25% वृक्ष/रुट स्टॉक विहीन खुले वन क्षेत्र हेतु)

मजदूरी प्रति मानव दिवस (रू0 में) : 249.83 — कार्य दर प्रति हे0

क्र0 सं0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रू0 249.83						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे0	3	749.49	0.00	749.49	
2	कटबेक/कॉपसिंग, क्लाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग, along with debris removal आदि (All live stumps should be touched)	हे0	30	7494.90	0.00	7494.90	इन कार्यों को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। उपरोक्त कार्यों को करने से पूर्व एवं कार्य संपादित करने के पश्चात् संपूर्ण स्थल की विडीयोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाय।
3	न्यूनतम आवश्यकता अनुसार स्वीकृत विभागीय दर पर वन संरक्षक के अनुमोदन से मशीन द्वारा ट्रेंच घेरान अथवा पत्थर घेरान किया जायेगा (i) ट्रेंच घेरान– ऊपर की चौड़ाई 1.83 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.22 मी0, गहराई 1.22 मी0, ड्रेसिंग सहित (ii) पत्थर घेरान– ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी0, नीचे की चौड़ाई 1.25 मी, ऊँचाई 1.00 मी0 (iii) झाडी घेरान	प्रति हे0 औसतन 6 चेन	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हे0 ट्रेंच घेरान 6 चेन का प्रावधान है किन्तु वास्तविक स्थल पर भूगतान वास्तविक कार्य संपादन के अनुसार किया जायेगा। उपर्युक्त ट्रेंच बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों का वृक्षारोपण किया जाएगा, ताकि Live Hedge/Fence तैयार हो सके।
4	मृदा कार्य (0.45 मी. x 0.45 मी. x 0.45 मी.) 0.091 क्यू0 मी0 अधिकतम 200 पीट प्रति हे0 (संरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हे0	20	4996.60	0.00	4996.60	औसतन 200 पौधे प्रति हे0 रोपण के लिए। वन्य जीव क्षेत्रों में पुर्णतः वन्य जीवों के पर्यावास के विकास के अनुकूल प्रजाति के।
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य – कंटूर ट्रेंच – 50, कंटूर साईज 5 मी. X 0.45 मी. X 0.45 मी. का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी कम से कम 2 मीटर ढलान के कोण के अनुसार हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मी. गहरा कोडनी कर रखा जाना।		40	9993.20	500.00	10493.20	अवश्यकतानुसार ढलान पर ही कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जायेगा। कंटूर ट्रेन्च के बर्म पर स्थानीय प्रजाति के बीजों को भी बोया जाएगा।
6	गली प्लगिंग	हे0	6	1498.98	0.00	1498.98	नोट देखें
7	सिल्ट डिटेन्शेन डेम, चेक डेम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल टो वाल, स्पर एवं टॉरेण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे0	15	3747.45		3747.45	नोट देखें
8	स्थाई पौधशालाओं में उपलब्ध (10% अतिरिक्त) 60% Root-Shoot को 6"x12" आकार की ट्यूब में Pre-sprout कराकर पौधा तैयार करना।		2	499.66	960.40	1460.06	स्थायी पौधशाला से क्रय किये गये Tube Plants/ Root-Shoot के क्रय के लिए रू 5.00 की दर से राशि जमा कराई जाएगी। स्थानीय एवं फलदार प्रजाति के बडे पौधे को प्राथमिकता दी जायेगी
9	वनों की सुरक्षा		2.00	499.66	0.00	499.66	
	योग–		130.00	32477.90	13243.14	45721.04	

नोटः–
1. प्रत्येक वनरोपण स्थल पर स्थल आवश्यकतानुसार प्रस्तावित कार्यो का प्राक्कलन तैयार कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति पश्चात् कार्य संपादित किए जायेंगे।
2. इन कार्यो को करने के क्रम में कदापि किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3(क)

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2020–21 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना'' (अन्य व्यय) के अंतर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन–वर्द्धन कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, मोहनपुर	मोहनपुर		नबावी	देवघर–505	N 24° 33'57" E 86° 46'26"	10P, 17P, 18P, 601/AP	50
		योग :–							**50**
1	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, दुमका			गोवासोल	सपचला–09		41	50
					बुढ़ीकुरुवा	रांगामसलिया–17		191	
					आमगाछी	रांगामसलिया–01		01	
		योग :–							**50**
		कुल योग :–							**100**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3(ख)

वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना'' (अन्य व्यय) के अंतर्गत नदियों के उद्गम स्थल को संरक्षित करने हेतु वनों का संवर्द्धन, प्राकृतिक पुनर्जनन, जल एवं भू–संरक्षण तथा 200 पौधा प्रति हे0 वृक्षारेपण कार्य का स्थल विवरणी

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	नदी एवं उसके उद्गम स्थल का नाम	प्रखण्ड का नाम	स्थल का नाम	थाना/ थाना सं0	जी0पी0एस0 को–ऑडिनेट	प्लॉट नंबर	क्षेत्रफल (हे0 में)
i	ii	iii	v	iv	vi	vii	viii	ix	x
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	गोमियां	केकैया नदी (नावाडीह)	गोमियां	नावाडीह	गोमियां–19		5, 6	50
		योग :–							**50**
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा	चतरा	हेरु नदी (शेषांग)	चतरा	शेषांग	चतरा–267		30, 31, 41, 194, 195	50
		चतरा	बासा नदी (मारंगी पहाड़)	चतरा	मारंगी	गिद्धौर–45,		949, 950, 951, 1113, 1111P, 1112P	50
		योग :–							**100**
सकल योग									**150**

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि की विवरणी :-

TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	19S240601101400103	19S240601101400323	Total.
Deoghar	DGRFORE87	Jitendra Prasad	D.F.O. S.F.Div.. Dgr	1199200 (77862)	85000 (77869)	1284200
Dumka	DMKFOR003	Sourav Chandra (I.F.S)	D.F.O.S.F.Divdumka	1199200 (77863)	85000 (77870)	1284200
Hazaribagh	HZBFWL009	Smitha Pankaj	Div. Forest Officer East	1623900 (77865)	662200 (77871)	2286100
Chatra	CTRFOR003	Sri Kali Kinker	D.F.O. South Divn. Chatra	3247800 (77867)	1324400 (77872)	4572200

कुल आवंटित राशि :- 9426700 (चौरानवे लाख छब्बीस हजार सात सौ **) रूपये मात्र |**

टिप्पणी :- (#) को आवंटन ऐक्सेस नंबर समझा जाए

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019/1128 दिनांक - 18-Dec-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77862	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	1,199,200.00 रुपये ग्यारह लाख निन्यानवे हजार दो सौ
2	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77863	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	1,199,200.00 रुपये ग्यारह लाख निन्यानवे हजार दो सौ
3	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77865	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICEI EAST	1,623,900.00 रुपये सोलह लाख तेइस हजार नौ सौ

योग: 4,022,300.00

क्रमिक योग: रुपये चालीस लाख बाइस हजार तीन सौ

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

Run Date: 18/12/2019

पत्र संख्या - 01/YB-22/2019/1128 | दिनांक - 18-Dec-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77867	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	3,247,800.00 रुपये बत्तीस लाख सैतालीस हजार आठ सौ
5	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77869	DGRFORE87 JITENDRA PRASAD D.F.O. S.F.DIV.. DGR	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार
6	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77870	DMKFOR003 SOURAV CHANDRA (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	85,000.00 रुपये पिचयासी हजार

योग: 3,417,800.00

क्रमिक योग: रुपये चौहत्तर लाख चालीस हजार एक सौ 7,440,100.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 18/12/2019

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77871	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICEI EAST	662,200.00 रुपये छः लाख बासठ हजार दो सौ
8	S 19 240601101400323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 40 - सिल्विकल्चर ऑपरेशन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री **State Scheme** State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Centeral Scheme : NA	77872	CTRFOR003 SRI KALI KINKER D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,324,400.00 रुपये तेरह लाख चौइस हजार चार सौ

योग: 1,986,600.00

क्रमिक योग: रुपये चौरानवे लाख छब्बीस हजार सात सौ 9,426,700.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

 Run Date: 18/12/2019